भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.5006**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

श्रीअन्न को बढ़ावा

5006. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विश्व भर में श्रीअन्न और प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) कृषि निर्यात के संबंध में सरकार की कार्यनीति का ब्यौरा क्या है; और
(ग) संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की बढ़ती प्रवृत्ति से भारतीय निर्यातकों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कार्यनीतियां बनाई जा रही है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): वाणिज्य विभाग ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के माध्यम से श्रीअन्न के बारे में जागरूकता, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और मिलेट कॉनक्लेव का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष 2023 के अंतर्गत, भारतीय दूतावासों/मिशनों और सरकारी विभागों के निकट सहयोग से कई क्रियाकलाप आयोजित किए गए, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, नमूना कार्यक्रमों, श्रीअन्न गैलेरीज़, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि में श्रीअन्न विषयगत भागीदारी शामिल थे। इसके अलावा, श्रीअन्न प्रमुख वैश्विक और घरेलू मेलों में ब्रांडिंग और प्रचार बढ़ाने के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है, जिसमें एपीडा भाग लेता है।

भारत सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में देश भर में एक मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) की शुरुआत की। एनएमएनएफ का उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्यान्न प्रदान करने के लिए प्राकृतिक कृषि परिपाटियों को बढ़ावा देना है। स्वस्थ और रसायन मुक्त

उत्पादों की बढ़ती मांग की वैश्विक प्रवृत्ति को देखते हुए, प्रमाणित प्राकृतिक उत्पादों की उपलब्धता के आधार पर, विदेशों में भारत के प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण गुंजाइश है।

(ख): सरकार भारत को कृषि उत्पादों का प्रमुख निर्यातक बनाने के लिए भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित पहल कर रही है। कुछ प्रमुख पहल निम्नवत है:

i. नए उत्पादों का निर्यात करके भारत की कृषि निर्यात बास्केट को व्यापक आधार बनाना।
ii. नए बाजारों में निर्यात का प्रवेश करना।
iii. नए उत्पादक क्षेत्रों से निर्यात करना।
iv. भारत के कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और संवर्धन को बढ़ावा देना।
v. मूल्य वर्धित कृषि निर्यात द्वारा निर्यात प्राप्ति को बढ़ाना।
vi. जैविक उत्पादों के निर्यात का विस्तार करना।
vii. उत्पादकों और हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ाना ताकि गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद और आयातक देशों की पादप-स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
viii. जल्दी खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए समुद्री प्रोटोकॉल का विकास करना।
ix. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को निर्यात मूल्य श्रृंखला से जोड़ना।
x. एफटीए और व्यापारिक भागीदारों के साथ सहभागिता के माध्यम से बाजार पहुंच में वृद्धि करना।

(ग): भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने और निर्यातकों को संरक्षणवादी व्यापार नीतियों से बचाने के लिए, सरकार बाजार पहुंच को सुरक्षित करने और व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए संबंधित आयातक देशों के साथ गहन द्विपक्षीय चर्चा में सक्रिय रूप से संलग्न है। सरकार उन देशों में शुल्क-मुक्त/रियायती पहुंच के लिए व्यापारिक भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर भी चर्चा कर रही है। सख्त स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस)/व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) के रूप में बाधाओं के मामले में, उनका उन्हें व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से हल करने के प्रयास किए जाते हैं और उनमें समाधान नहीं होने के मामले में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में विशिष्ट व्यापार चिंताओं (एसटीसी) को उठाकर उनका समाधान किया जाता है

*****